

मु0न0- 13/2022

उनवान:- करणसिंह बनाम अमरसिंह
न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

तारीख रजु:- 19.01.2022

मु0न0 13/2022

पीठासीन अधिकारी:- सुनीता मीना आर.ए.एस
उनवान

1. करणसिंह पुत्र रामलल्लू जाति मीना
 2. रोहिताश पुत्र रामलल्लू जाति मीना
 3. कैलाशी पि0 रामलल्लू जाति मीना
 4. बिरमा पि0 रामलल्लू जाति मीना
 5. हुकम बाई पि0 रामलल्लू जाति मीना
 6. महावीरया पि0 मिश्रया जाति मीना
 7. हरकेश पि0 मिश्रया जाति मीना
 8. शिवराम पि0 मिश्रया जाति मीना
- समस्त निवासीयान कमालपुरा तहसील टोडाभीम।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र बुधराम जाति मीना
2. विश्राम पुत्र बुधराम जाति मीना
3. गंगाराम पुत्र बुधराम जाति मीना
4. हुकम सिंह पुत्र बुधराम जाति मीना
निवासीयान कमालपुरा तहसील टोडाभीम।
5. तहसीलदार टोडाभीम

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (प्रार्थीगण)
श्री हसराम गूर्जर एडवोकेट (अप्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांक:- 28.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 587 रकवा 0.16 है0 प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 586 रकवा 0.12 है0 अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जो कि साबिक ख0न0 446/1 रकवा 1 बीघा 2 बिस्वा था जो प्रार्थीगण के बाबा व प्रार्थी न0 6 ता 8 के पिता मिश्रया के नाम एवं अप्रार्थीग न0 1 ता 4 के पिता बुधराम के नाम संयुक्त खातेदारी की आराजीयात थी जो जमाबन्दी सम्बत 2036-39 में मिश्रया, बुधराम पि0 उँकार के नाम खातेदारी दर्ज थी जिसका मौके पर एक ही चक था जिसके दक्षिण दिशा में हिण्डौन गुढाचन्द्रजी सडक जिसका वर्तमान न0 567 है जो मौके पर आम सडक है।

यह कि प्रार्थीगण के पिता एवं बाबा मिश्रया निरक्षर थे, जबकि अप्रार्थीगण के पिता बुधराम पढा लिखा एवं चालाक किस्म का व्यक्ति था, जिस कारण प्रार्थीगण के पिता व बाबा मिश्रया अपने भाई बुधराम पर विश्वास करता था और अप्रार्थीगण के पिता बुधराम ने उसी विश्वास का फायदा उठाकर प्रार्थीगण के पिता व बाबा मिश्रया की अनुपस्थिति में सडक के सहारे की आराजी को प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 में अपने पिता बुधराम के नाम साज करके अपने नाम बटवारा करा लिया हाल ख0न0 586 रकवा 0.12 है0 जो सडक के सहारे है को अप्रार्थीगण के



(सुनीता मीना)

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0:- 13/2022

दिनांक 14.07.2021 को खारिज कर दी है तथा विभाजन आदेश यथावत माना है। अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 586 रकवा 0.12 है0 से प्रार्थीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। इस खसरा नम्बर 586 की तीन तरफ पक्की बाउन्ड्रीवाल हो रही है तथा ख0न0 587 की तरफ डोल मेड हो रही है। प्रार्थीगण ने इसी भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा में दावा स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रोहिताश बनाम अमरसिंह वगै0 प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित ख0न0 587 के संबंध में किया है। जिमसे रास्ते के संबंध में किसी प्रकार का कथन नहीं किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमया जावे।

सायल वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 587 रकवा 0.16 है0 प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 586 रकवा 0.12 है0 अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जो कि साबिक ख0न0 446/1 रकवा 1 बीघा 2 बिस्वा से बने है, जो प्रार्थीगण के बाबा व प्रार्थी न0 6 ता 8 के पिता मिश्रया के नाम एवं अप्रार्थीगण न0 1 ता 4 के पिता बुधराम के नाम संयुक्त खातेदारी की आराजीयात थी जो जमाबन्दी सम्वत 2036-39 में मिश्रया, बुधराम पि0 उँकार के नाम खातेदारी दर्ज थी जिसका मौके पर एक ही चक था जिसके दक्षिण दिशा में हिण्डौन गुढाचन्द्रजी सडक जिसका वर्तमान न0 567 है जो मौके पर आम सडक है।

अप्रार्थीगण के बुजुर्गों ने प्रार्थीगण के बुजुर्गों से साज कर अनुपस्थिति में सडक के सहारे की आराजी को प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 में अपने पिता बुधराम के नाम साज करके अपने नाम बटवारा करा लिया हाल ख0न0 586 रकवा 0.12 है0 जो सडक के सहारे है को अप्रार्थीगण के पिता बुधराम ने अपने नाम खातेदारी करा ली है। जो माननीय राजस्व मंडल अजमेर के यहाँ विचारधीन है। प्रार्थना पत्र में वर्णित ख0न0 587 पर आने जाने व पशुधन लाने तथा भूमि की जुताई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के आने जाने के लिए मुख्य सडक ख0न0 567 से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि ख0न0 586 के बतरफ पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण 30 फिट चौड़ा रास्ता जो मौके पर प्रार्थीगण के रास्ते के रूप में काम आती है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर आने-जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0न0 587 रकवा 0.16 है0 में आने जाने के लिए मुख्य सडक ख0न0 567 से ख0न0 586 के पश्चिम दिशा की तरफ डोल के सहारे 30 फिट का रास्ता मुख्य सडक ख0न0 567 से ख0न0 587 तक में रिकार्ड एवं मौके पर रास्ता निकाला जाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम करने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थीगण न0 1 ता 4 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 587 में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 586 में बतरफ पश्चिम दिशा की ओर 30 फिट चौड़ा रास्ता नहीं है नाही मौके पर किसी प्रकार का रास्ता है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में जो नक्शा पेश किया है वह खिलाफ मौका व गलत है। ख0न0 586 में होकर के वर्तमान में प्रार्थीगण का व पूर्व में इनके बुजुर्गों का कभी भी आने-जाने का रास्ता नहीं रहा है। तब रास्ता बंद करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिये इस भूमि पर धारा 251 ए लागू नहीं होते है। ख0न0 587 में आने जाने के लिए रास्ता ख0न0 584, 585 में होकर जा रहा है। यह रास्ता सी.सी.रोड है जो ग्राम पंचायत ने बनाया है यह रास्ता ख0न0 587 के लगवा है, चुकि ख0न0 584, 585 में आबादी बसी हुई है। ख0न0 586 में होकर कोई रास्ता किसी प्रकार का नहीं है। प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 कैम्प कमालपुरा में उभयपक्ष खातेदार की मौजूदगी में गवाहों के समक्ष एवं पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक कमालपुरा की रिपोर्ट एवं स्वयं पीठासीन अधिकारी के समक्ष बटवारा किया गया है जिसमें प्रार्थीगण के बाबा, पिता व अप्रार्थीगण के पिता की आपसी सहमति के आधार पर विभाजन किया गया है। विभाजन प्रार्थीगण के बुजुर्गों व अप्रार्थीगण के बुजुर्गों ने स्वीकार कर अपनी-अपनी भूमियों पर काबिज हो गये है। इस विवादित भूमि के अलावा अन्य भूमि का प्रार्थीगण के बुजुर्गों व अप्रार्थीगण के बुजुर्गों के मध्य विभाजन हुआ है। प्रार्थीगण ने विभाजन आदेश दिनांक 06.02.2024 के विरुद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर



(सुनीता मोना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
येडाभीम, जिला-गंगानगर सिटी

मु0न0:- 13/2022

करौली के यहाँ दिनांक 25.09.2020 को प्रस्तुत की थी। उक्त अपील दिनांक 14.07.2021 को खारिज कर दी है तथा विभाजन आदेश यथावत माना है। अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 586 रकवा 0.12 है0 से प्रार्थीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। इस खसरा नम्बर 586 की तीन तरफ पक्की बाउन्ड्रीवाल हो रही है तथा ख0न0 587 की तरफ डोल मेड हो रही है। प्रार्थीगण ने इसी भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा में दावा स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रोहिताश बनाम अमरसिंह वगै0 प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित ख0न0 587 के संबंध में किया है। जिमसे रास्ते के संबंध में किसी प्रकार का कथन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमया जावे।

उनवान:- करणसिंह बनाम अमरसिंह

उभयपक्ष विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओं को तय किया जाना होता है।

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण:- पत्रावली में शामिल पत्रावली में शामिल ग्राम कमालपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 में ख0न0 587 रकवा 0.16 है0 प्रार्थीगण के नाम रिकार्ड दर्ज है एवं ख0न0 586 रकवा 0.12 है0 अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 567 रकवा 2.08 गै0मु0सडक संस्था के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ख0न0 586 में होकर रास्ते का अनुतोष चाहा है। जबकि ख0न0 586 में अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विवादित आराजीयात की अपील, निगरानी आदि पेश की हुई है जिनकी कार्यवाही के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई आदेशिका की प्रति अथवा निर्णय की प्रति पेश नहीं की है। वर्णित आराजी ख0न0 586 में अप्रार्थीगण खातेदार है और खातेदारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में साबित नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष में साबित है।
2. सुविधा का संतुलन:- प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में साबित नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन गैर सायल के पक्ष में साबित है।
3. अपूर्तनीय क्षति:- वर्णित आराजीयात ग्राम कमालपुरा में यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, व अपूर्तनीय क्षति सायल के पक्ष में साबित नहीं होने से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी (सुनीता मीना) नायक कलक्टर
न्यायालय अखण्ड अधिकारी एवं नूतन न्यायिक इलाका
दोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी